## राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर
## भंवरू बनाम बन्ना वगैरह (117 /2022)

दिनांक 7.06.2022

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 20.05.2022 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि अपीलांटस ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा साथ ही प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 19.04.2022 को यह आदेश पारित किए गए कि दोनो पक्षों को सुनने के पश्चात ही अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि विवादित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात है तथा प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित आराजीयात बाबत् जमाबंदी भी प्रस्तुत की थी इन सब के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 को अन्तरिम निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं कर रेस्पोडेन्टस को अपीलांटस की खातेदारी की आराजीयात से दखलदांजी मदालखत उत्पन्न करने की खुली छुट प्रदान करते हुए आदेश पारित किये हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 का उक्त आराजीयात से किसी प्रकार से कोई लेना–देना इत्यादि नहीं था इस प्रकार से उक्त प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में था तथा अप्रार्थी, प्रार्थी की उक्त आराजीयात बाबत् नाजायज कब्जा करने पर सख्त आमादा हो रहे है। इस प्रकार से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में था तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थी की उक्त आराजीयात में बलपूर्वक निर्माण कार्य करवाने पर आमादा है। जिसमें यदि वे सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2583 रकबा 0.089 है. तथा खसरा नम्बर 2586 रकबा 0.0324 बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 2 को नाजायज दखलअंदाजी मदाखलत उत्पन्न किये जाने से पाबंद किया जावें तथा विवादित आराजीयात बाबत् राजस्व मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश प्रदान करावें।

अपील मियाद अधिनियम की अवधि में प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। खसरा नम्बर 2583, 2586 की भूमियां सहखातेदारों की आराजी है, इसलिए सह खातेदार को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करना न्यायहित में उचित नही है क्योंकि सह खातेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच जमीन पर प्रत्येक सह खातेदार का कब्जा माना जाता है। न्यायालय स्थगन प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार आदेश देना उचित नहीं समझता है किन्तु प्रकरण का निस्तारण इसी स्तर पर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण इस आदेश से 30 दिवस में उभयपक्ष पक्षाकरान को सुनवाई का अवसर देते हुए आवश्यक रूप करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

7.6.2022

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
पीठासीन अधिकारी